Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 143: Recovery by deduction from any money owed

Where any amount payable by a person (hereafter referred to in this rule as "the defaulter") to the Government under any of the provisions of the Act or the rules made thereunder is not paid, the proper officer may require, in **FORM GST DRC-09**, a specified officer to deduct the amount from any money owing to such defaulter in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 79.

Explanation–For the purposes of this rule, "specified officer" shall mean any officer of the Central Government or a State Government or the Government of a Union territory or a local authority, or of a Board or Corporation or a company owned or controlled, wholly or partly, by the Central Government or a State Government or the Government of a Union territory or a local authority.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 143 : किसी ऋणग्रस्त रकम से कटौती द्वारा वसूली

जहां अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किन्हीं उपबंधों के अधीन सरकार के प्रति किसी व्यक्ति द्वारा (जिसे इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों में 'व्यितक्रमी'' कहा गया है) संदेय की रकम संदत्त नहीं की जाती हैं, वहां उचित अधिकारी, प्ररूप जीएसटी डीआरसी—09 में विनिर्दिष्ट अधिकारी से, धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यतिक्रमी के प्रति किसी ऋणग्रस्त रकम से उक्त रकम की कटौती करने की अपेक्षा कर सकेगा।

स्पष्टीकरण-इस अध्याय के नियमों के उपबंधों के अधीन नियमों के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट अधिकारी" से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या केन्द्रीय सरकार या सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के पूर्ण या भागतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी कंपनी का कोई अधिकारी अभिप्रेत है।